आदेश

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी के पूर्ण कालिक कर्मचारियों को वर्दी एवं अन्य सुविधाऐं देन विषयक इस कार्यालय के आदेशांक–सी0–195/नजारत/वर्दी/1996–97 दिनांक 07.11.1996 में निम्न संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जाते है :–

1 समस्त ऐसे पूर्ण कालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिनकी सेवायें बैंक में एक वर्ष पूर्ण हो चुकी हों को एक सेट ऊनी वर्दी दी जायेगी। तत्पश्चात तीन वर्ष बाद (चौथे वर्ष) एक सेट ऊनी वर्दी देय होगी। एक सेट ऊनी वर्दी में एक बन्द गले का कोट तथा एक पैन्ट होगी।

ऊनी वर्दी सर्ज धारीवाल सुपर 777 ब्राण्ड की नेवी ब्लू रंग के ब्लेजर की होगी। वर्तमान में एक सेट ऊनी वर्दी की सिलाई सहित अधिकतम कीमत 1375.00 निर्धारित की जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगे कि ऊनी सेट में कोट बन्द गले का होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाय।

2 पूर्णकालिक वाहन चालक एवं (महिला तथा पुरूष) सहयोगियों को प्रथम एक वर्ष सेवा पर तथा पश्चात प्रत्येक चार वर्ष पश्चात (पांचवें वर्ष) खाकी रंग की एक ओवर कोट देय होगा जायेगा। अन्य प्रक्रिया ऊनी वर्दी की भांति होगी तथा कीमत भी अधिकतम रूपये 1375.00 ही होगी।

3 दो सेट टेरीकाट की ठंडी वर्दी एक वर्ष की सेवा के बाद एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष के बाद (तीसरे वर्ष) देय होगी। वाहन चालकों को दो सेट टेरीकाट की सफेद तथा एक सेट ग्रे वर्दी उक्तानुसार देय होगी। टेरीकाट की वर्दी ग्रे कलर व सफेद कपडा(रेमण्ड ब्राण्ड क्वालिटी सं0 302824 शेड नम्बर 171) का होगा। एक सेट टेरीकाट वर्दी में एक पैंट व एक पूरी बांह की शर्ट होगी। एक सेट टेरीकाट वर्दी की सिलाई सहित अधिकतम कीमत रूपये 1052.00 की होगी। महिला कर्मचारियों को दो ग्रे रंग की साडी दो ब्लाऊज दो पेटीकोट दिया जायेगा जिसकी अधिकतम रूपये कीमत 1052.00 प्रति सेट होगी।

(303)

4 वर्दी बनवाने के लिये कपडा तथा सिलाई हेतु नियमानुसार तीन कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर कार्य कराया जायेगा।

5 समस्त पूर्णकालिक वाहन चालकों तथा सहयोगियों को एक वर्ष की सेंवा पर एवं तत्पश्चात दो वर्ष बाद (तीसरे वर्ष) एक छाता एवं तीन सेल वाली एवरेडी पीतल की टार्च नियमानुसार न्यूनतम कोटेशन के आधार पर क्रय कर दी जायेगी।

6 समस्त पूर्ण कालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पर एवं तत्पश्चात प्रत्येक चार वर्ष बाद (पांचवे वर्ष) एक कम्बल गांधी आश्रम एवं खादीग्रामोद्योग संस्था व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ से क्रय कर दिया जायेगा जिसकी अधिकतम कीमत रूपये 1000.00 होगी।

7 यदि कोई चतुर्थ श्रेणी का पूर्णकालिक कर्मचारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय स्थानान्तरित होकर आता है तो उसने पहले के कार्यालय में वर्दी कब प्राप्त किया इस आशय का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही दी जायेगी। उक्त सुविधायें जो किसी कर्मचारी को दी जा चुकी है तो देय तिथि के बाद ही उसे यह सुविधायें दी जायेगीं।

8 सम्बधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैंक द्वारा निर्धारित वर्दी पहनकर ही कार्यालय आते हैं।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय लखनऊ

आदेशांक- सी०-23 /नजारत/वर्दी/2018–19 दिनांक 06.06.2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित

1 उपमहाप्रबन्धक (प्राचार्य) (कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय लखनऊ को बैंक बेवसाइड पर अपलोड हेतु।

2 समस्त अधिकारीगण प्रधान कार्यालय लखनऊ।

3 उपमहाप्रबन्धक (प्रशि0) बैंक प्रशिक्षण लखनऊ।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक